तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 10/2024 जीसीएमएस : 2024/154 सुमित सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान सरकार प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी को आवाजें लगाई गयी। हाजिर नहीं आए। तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/587 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किय गया है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 एन.जेड.एम ए तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 41 प.नं. 203/371 मु.नं. 29 कि.नं. 16,22,23,24,25 में 1.265है. कमाण्ड/अ.क. भूमि है जो सुमित सिंह राठौड़ की जगह गलत इन्द्राज शेर सिंह दर्ज है। प्रार्थी का रकबा जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारी व विभाग की गलती से शेर सिंह के नाम दर्ज हो गया है। प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम सुमित सिंह राठौड़ है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के अंकित गलत नाम शेर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह की जगह सही नाम सुमित सिंह राठौड पुत्र महेन्द्र सिंह राठौड अंकन करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा जरिए बैयनामा पंजीबद्ध दिनांक 18.07.1995 के ईन्तकाल सं. 70 से शेर सिंह के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज हुआ तत्पश्चात इन्तकाल सं. 140 निर्णय दिनांक 09.02.2008 किस्म खाता विभाजन से एकल खाता में दर्ज रिकार्ड हुआ जो आदिनांक तक दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रार्थी के नाम से पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 18.07.1995 के आधार पर नामान्तरण सं. 70 के द्वारा दर्ज हुई है जिसका विभाजन भी प्रार्थी द्वारा करवाया गया है। भूमि प्रार्थी के नाम से वर्ष 1995 में दर्ज हुई तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र वर्ष 2024 में पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि राजस्व कर्मचारी की भूल के कारण गलत नाम अंकित हुआ है जबकि प्रार्थी के नाम से भूमि जरिए पंजीबद्ध बैयनामा दर्ज हुई है जिसका ज्ञान प्रार्थी को प्रारम्भ से ही है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अथवा जमाबंदी तैयार करते समय हुई लिपिकीय भूल की दुरूस्ती की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की भूल होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:25:59 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner